

शर्त एवं नियम

1. प्रत्येक बोलीदाता को खुली बोली में भाग लेने से पूर्व ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करानी होगी तथा आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. सफल बोलीदाता को स्वीकृत कुल ठेका राशि की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि प्रथम किस्त के रूप में ठेका स्वीकृति के सात दिवस के भीतर जमा करानी होगी। शेष राशि द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में 28 फरवरी, 2027 तक जमा करानी होगी। ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की धरोहर राशि प्रथम किस्त में समायोजित की जाएगी।
3. प्रथम किस्त जमा करने तथा आवश्यक अनुबंध संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात ही फल प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
4. ठेकेदार ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा उप-ठेके पर नहीं दे सकेगा।
5. ठेकेदार फलदार वृक्षों एवं बगीचे की सुरक्षा, स्वच्छता तथा समुचित रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।
6. फलदार वृक्षों के लिए खाद एवं उर्वरक तथा सिंचाई हेतु आवश्यक पानी की व्यवस्था कृषि विज्ञान केन्द्र, बूंदी द्वारा की जाएगी। खाद एवं उर्वरक डालने, सिंचाई करने तथा पौध संरक्षण संबंधी आवश्यक कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र के तकनीकी निर्देशों के अनुसार ठेकेदार द्वारा किए जाएंगे।
7. फलदार वृक्षों से फलों की तुड़ाई एवं संग्रहण सावधानीपूर्वक किया जाएगा। वृक्षों, शाखाओं अथवा केन्द्र की अन्य परिसंपत्तियों को क्षति पहुँचाने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।
8. ठेकेदार आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा उनकी सुरक्षा एवं लागू श्रम संबंधी नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा।
9. कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में नशा करना, नशे की अवस्था में प्रवेश करना तथा अनुशासनहीन गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।
10. ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 30 सितंबर, 2027 तक रहेगी।
11. भुगतान में चूक अथवा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार ठेका निरस्त करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि नियमानुसार वापस की जाएगी।
12. कृषि विज्ञान केन्द्र, बूंदी को लागू नियमों के अधीन किसी भी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अन्य मामलों में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के लागू नियम एवं सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा। विवाद की स्थिति में लागू कानूनों के अनुसार सक्षम न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।